

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06012022-232482
SG-DL-E-06012022-232482असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 2022/पौष 16, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 368
No. 19]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 2022/PAUSHA 16, 1943	[N. C. T. D. No. 368

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवित्त (व्यय-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 6 जनवरी, 2022

सं. 32/2021-राज्य कर

सं. फा. 03(141)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/13.-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2021 है ।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, ये नियम 29 अगस्त, 2021 से लागू होंगे ।

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 26 के उपनियम (1) में,—

(क) चौथे परंतुक में, "31 अगस्त, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "31 अक्तूबर, 2021" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ख) 1 नवंबर, 2021 से सभी परंतुकों का लोप किया जाएगा;

(ii) 1 मई, 2021 से, नियम 138ड में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि उक्त निर्बंधन 1 मई, 2021 से 18 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान उस दशा में लागू नहीं होगा, जहां, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर—3ख में विवरणी या प्ररूप जीएसटीआर—1 में जावक प्रदायों का विवरण या प्ररूप जीएसटी सीएमपी—8 में विवरण मार्च, 2021 से मई, 2021 की अवधि के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।";

(iii) प्ररूप जीएसटी एसएमटी—14 में,—

(क) "आपका रजिस्ट्रीकरण" शब्दों के पश्चात्, "आदेश प्रतिनिर्देश सं., तारीख
... द्वारा," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "क्यों रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने के बावजूद रजिस्ट्रीकरण के बिना कारबार संचालन के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा

(ग) अंत में, "पदनाम" के पश्चात्, "पता" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार, उप सचिव—I (वित्त)

टिप्पण: मूल नियम दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग—IV में संख्यांक सं. फा. 03(10)/वित्त (राजस्व—I)/2017—18/डीएस—VI/342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 03/2017—राज्य कर, तारीख 22 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सं. फा. 03(140)/वित्त (व्यय—I)/2021—22/डीएस— I/07, तारीख 5 जनवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 30/2021—राज्य कर, तारीख 5 जनवरी, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th January, 2022

No. 32/2021—State Tax

No. F. 3(141)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/13.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from the 29th August, 2021.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, —

(i) in sub-rule (1) of rule 26,-

- (a) in the fourth proviso, for the figures, letters and words “31st day of August, 2021”, the figures, letters and words “31st day of October, 2021” shall be substituted;
- (b) with effect from the 1st day of November, 2021, all the provisos shall be omitted;

(ii) with effect from the 1st day of May, 2021, in rule 138E, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the said restriction shall not apply during the period from the 1st day of May, 2021 till the 18th day of August, 2021, in case where the return in **FORM GSTR-3B** or the statement of outward supplies in **FORM GSTR-1** or the statement in **FORM GST CMP-08**, as the case may be, has not been furnished for the period March, 2021 to May, 2021.”;

(iii) in **FORM GST ASMT-14**, -

- (a) after the words, “with effect from -----”, the words, “vide Order Reference No. -----, dated -----” shall be inserted;
- (b) the words, “for conducting business without registration despite being liable for registration” shall be omitted;
- (c) at the end after “Designation”, the word “Address” shall be inserted.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR, Dy. Secy.-I (Finance)

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* notification No. 3/2017-State Tax, dated the 22nd June, 2017, published *vide* No. F3(10)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and were last amended *vide* notification No. 30/2021 - State Tax, dated the 05th January, 2022, *vide* No. F.3(140)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/07, dated the, 05th January, 2022.